संख्या-1762/77-6-24-6099/237/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री आर.के. विश्नोई,
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
टीएचडीसी इण्डिया लि0, भागीरथी भवन,
(टाप टेरिस), भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल-249124

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2024**

विषय: उत्तर प्रदेश के जनपद- सोनभद्र तहसील-राबर्टसगंज, ग्राम-बसुहारी/बडेला में 1200 मेगावाट पंप स्टोरेज पावर प्लांट परियोजना की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमति दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त के संबंध में इन्वेस्ट यूपी को सम्बोधित अपने पत्र संख्या- टीएचडीसीआईएल/आरकेएसएच/सीएमडी/2410, दिनांक 22.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उक्त विषयगत परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना के संबंध में राज्य सरकार से दिनांक 17.01.2024 को समझौता-ज्ञापन (एमओयू) किया गया था।

2- उक्त परियोजना पर सैद्धांतिक अनुमति दिए जाने के पूर्व इसके निमित्त औद्योगिक विकास अनुभाग-6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3917/77-6-23-6099/237/2023, दिनांक 14.12.2023 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 04.04.2024 को आहूत की गई थी।

3- समिति के समक्ष टीएचडीसी इंडिया लि0 द्वारा उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति को परियोजना के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि यह आफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पम्प स्टोरेज परियोजना है। परियोजना हेतु कुल 300.55 हे0 भूमि की आवश्यकता है, जिसमें वन-भूमि का क्षेत्रफल 271.71 हे0 है। इस प्रकार परियोजना से आच्छादित भूमि का 90 प्रतिशत वन विभाग के स्वामित्व में है। परियोजना के संचालन में प्रथम बार जलाशय को भरने में 15.031 एमसीएम तथा वाष्पन ह्रास के

कारण प्रतिवर्ष 1.7112 एमसीएम जल की आवश्यकता है। जल-आपूर्ति का स्रोत सोन नदी है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग रू0 6600.00 करोड़ है। इसकी साईकिल ईफीसियेन्सी 80 प्रतिशत बताई गयी। परियोजना से प्रतिदिन 6 घण्टा 36 मिनट विद्युत का उत्पादन होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि इस परियोजना का किसी अन्य परियोजना से ओवरलैपिंग की समस्या नहीं है।

4- टीएसडीसी इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं परियोजना के अनुशांगिक विभिन्न बिन्दुओं पर उपलब्ध कराई गई तथ्यात्मक स्थितियों पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा परियोजना की स्थापना के संबंध में सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। तत्क्रम में प्रश्नगत परियोजना को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की जाती है:-

i. टीएसडीसी इण्डिया लि0 द्वारा इन्वेस्ट यूपी तथा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के समक्ष विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

ii. टीएसडीसी इण्डिया लि0 द्वारा उक्त परियोजना हेतु अपनी लागत एवं व्यय पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से नियमानुसार यथास्थिति आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं की जाएगी।

iii. राज्य सरकार सोन नदी से आवश्यक जल के आवंटन की प्रक्रिया के साथ-साथ पुनर्भरण के प्राविधान को भी सुविधाजनक बनाएगी। यद्यपि, निकासी की अनुमति केवल बाढ़ की अवधि में तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार के सिंचाई विभाग के अनुमोदन के उपरांत ही प्रदान की जाएगी।

iv. टीएसडीसी इण्डिया लि0 को उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रचलित/विद्यमान नीतियों/नियमों/योजनाओं के अनुसार अनुमोदन/अनुमोदन प्राप्त करने में राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। स्वीकृतियों को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्ट यूपी को सूचित करते हुए संबंधित विभागों/प्राधिकरणों को आवेदन जमा करना टीएसडीसी इण्डिया लि0 का उत्तरदायित्व होगा।

v. टीएसडीसी इण्डिया लि0 द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की गतिविधियां स्थानीय क्षेत्रों के लाभ के लिए संचालित की जाएंगी।

vi. परियोजना का विकास विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10.04.2023 को इस विषय पर जारी पंप भंडारण के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिशा-निर्देशों के प्राविधानों के अधीन होगा।

भवदीय,

Manoj 25.7.24

(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. निजी सचिव, सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 ।
3. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, जल विद्युत परियोजना मूल्यांकन प्रभाग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 ।
4. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन/ राजस्व/ सिंचाई एवं जल संसाधन/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी।
8. निदेशक, यूपीनेडा।
9. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग, सेक्टर-21, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
10. प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र/आरक्षित वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
11. श्री संजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी, टीएचडीसी, प्लाट नं0-20, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गाजियाबाद-201010
12. आई.टी. सेल, इन्वेस्ट यूपी।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)

अनुसचिव।